न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या 12/28/2023 रजि0 नं0 2023/292 प्रवेश तिथि 09.06.2023

अपीलार्थीः–

श्री महासिंह मीना,
निवासी मकान न0 ए/134 राजीव कलोनी,
सैक्टर–33, पोस्ट खाण्डसा, गुरूग्राम हरियाणा
पिन– 122004

प्रत्यर्थीः–

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::– 26.07.2023

1–अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड को आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2–अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3–अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड से जरिये नोटिस क्रंमाक 254 दिनाक 15.06.2023 से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 28.06.2023 को उपस्थित आवें।

4–अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड से अपील का जवाब प्राप्त न होने पर पुनः स्मरण पत्र क्रंमाक कमशः पत्राक 284 दिनाक 30.07.2023, 345 दिनाक 14.07.2023 जारी किया गया। किन्तु अपेक्षित पालना रिपोर्ट प्राप्त नही हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर पालना नही की गयी है। जिसके फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

5–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर पालना नही की गयी है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। यदि सूचना देयता की श्रेणी में आती है, तो अपेक्षित सूचनाएं 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम)
अलवर, (राज0)